(वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा)

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आरक्षित :18.08.2021
निर्णयघोषित:02.09.2021

\+ ज़मानत अर्ज़ी 1047/2021

इरफ़ान उर्फ़ छेनू ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री जीतेन्द्र सेठी एवं श्री हेमंत गुलाटी, अधिवक्तागण ।

बनाम

राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली .....प्रत्यर्थी

द्वारा: डॉ. एम.पी.सिंह, राज्य के अति. लो. अभि. के साथ शैलेन्द्र सिंह, निरीक्षक, पुलिस थाना जाफराबाद

कोरम:
माननीय न्यायाधीश श्री रजनीश भटनागर

आदेश

न्या.,रजनीश भटनागर

1. वर्तमान जमानत अर्जी याचिकाकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत दायर की गई है जिसमें पुलिस थाना जाफराबाद, दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/307/120 बी/34 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत दर्ज प्राथमिकी सं. 592/2017 में नियमित जमानत की मांग की गई है।

2. संक्षेप में कहा गया है, वर्तमान मामले के तथ्य यह हैं कि दिनांक 22.10.2017 को शाम के लगभग 9:15 बजे, मो.साजिद पुत्र जलील अहमद एवं साजिद पुत्र शादिक ब्रह्म पुरी रोड दिल्ली में खड़े थे।फिर वाजिद और फैज स्कूटी पर वहां आए।इसी बीच, राशिद @गोलू, बड़ा इमरान, मुमताज और उनके अन्य तीन सहयोगी दो मोटरसाइकिलों पर वहां आए और वाजिद और फैज का पीछा किया।उन्हें देखते ही, वाजिद और फैज़ ने अपनी स्कूटी वापस मोड़ दी। इस बीच, उनमें से एक ने वाजिद और फैज़ पर गोली चलाई और एक गोली फियाज़ को लगी, जिसके परिणामस्वरूप स्कूटी असंतुलित हो गई और रुक गई।फैज वहां खड़ा था और वाजिद ब्रहमपुरी रोड पर भागने लगा, लेकिन उपरोक्त सवारों ने मोटर साइकिल पर वाजिद का पीछा किया, फिर वाजिद एक घर में घुस गया, लेकिन वे भी उसी घर में घुस गए। राशिद @गोलू अन्य लोगों हथियार के साथ घर के सामने मौजूद थे।फिर वाजिद घर की बालकनी से कूद गया। इस बीच

राशिद @गोलू, और उनके सहयोगियों ने परिष्कृत स्वचालित हथियार से उस पर कई गोलियां चलाईं।इसके बाद, फैज को जग प्रवेश चंदर अस्पताल, शास्त्री पार्क, दिल्ली ले जाया गया और गोलीबारी के कारण वाजिद मौके पर मृत पाया गया।

3. तत्पश्चात साजिद पुत्र जलील का बयान दर्ज किया गया और शिकायतकर्ता (साजिद), के बयान, एमएलसी और घटनाओं की परिस्थितियों के आधार पर, पुलिस थाना जाफराबाद, दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/307/120 बी/34 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के अंतर्गत प्राथमिकी सं. 592/17, दिनांक 23/10/17 एक मामला किया गया और जांच जारी है।

4. राज्य द्वारा दायर स्थिति आख्या के अनुसार वर्तमान याचिकाकर्ता इरफान @चन्नू को वर्तमान मामले में दिनांक 19.12.2017 को अन्य आरोपी व्यक्तियों राशिद @गोलू, शाहरुख कुरैशी, इमरान @बदा इमरान, राशिद @मुमताज, रफीक अली @फौजी @नसीर @मुन्ना और रिजवान द्वारा दिए गए इंकशाफ़ बयानों के आधार पर मंडोली जेल पर औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था | स्थिति आख्या में आगे कहा गया है कि वर्तमान याचिकाकर्ता इरफान @छन्नू ने अपने भाई रिजवान और अन्य सह-आरोपियों के साथ साजिश रचने और अपने गिरोह के सदस्यों की हत्या का बदला लेने के लिए लक्ष्यों का चयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुद को वर्तमान मामले में अपराध के बारे में खुलासा कबूल किया।

5. मैंने याचिकाकर्ता/अभियुक्त के अधिवक्ता, राज्य के फ़ाज़िल अति. लो. अभि. को सुना है, इस मामले के अभिलेखों एवं राज्य द्वारा दायर स्थिति आख्या का अवलोकन किया।

6. यह याचिकाकर्ता/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त/याचिकाकर्ता को साजिश के आरोपों में झूठा फंसाया गया है और अभियुक्त/याचिकाकर्ता मौके पर मौजूद नहीं था और घटना की तारीख अर्थात् दिनांक 23.10.2017 को एक अन्य मामले में हिरासत में था।यह आगे याचिकाकर्ता के फ़ाज़िल अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त रिजवान को नियमित ज़मानत आदेश दिनांक 30.03.2019 के द्वारा दी गयी हिया, सह-अभियुक्त नदीम @ इमरान को ज़मानत आदेश दिनांक 06.11.2020 के द्वारा दी गयी है एवं सह-अभियुक्त मुमताज़ को ज़मानत आदेश दिनांक 26.11.2020, सह-अभियुक्त शाहबाज़ एवं सह-अभियुक्त रशीद को ज़मानत आदेश दिनांक 08.02.2021 के द्वारा दी गयी है|

7. याचिकाकर्ता के फ़ाज़िल अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आरोप-पत्र के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ केवल आरोप यह है कि वह एक साजिशकर्ता था जिसने अपराध करने के लिए अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मिलकर साजिश रची थी। यह उसके द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि सिद्ध करने के लिए कि याचिकाकर्ता/अभियुक्त किसी भी तरीके से कथित

साजिश से जुड़ा है उनके पास एकमात्र सबूत भी नहीं है। उनके द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि सभी भौतिक गवाहों की जांच की गई है और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त व्यक्ति जिनसे अपराध के हथियार के अलावा अपराध में संलिप्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है, उन दोनों को फ़ाज़िल विचारण न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है एवं अभियोजन की ओर से विचारण न्यायालय एवं सह-अभियुक्त व्यक्तियों को जमानत देने के किसी भी आदेश के लिए कोई चुनौती नहीं दी गयी है।

8. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता को गलत तरीके से एक अन्य मामले प्राथमिकी सं. 634/2017 302/34 भ.द.स. और 25/27 शस्त्र अधिनियम, 1959 पुलिस थाना भजनपुरा में फंसाया गया था एवं इस मामले में भी याचिकाकर्ता अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ साजिश के आधार पर शामिल था लेकिन उन्हें इस न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर विचार करने के बाद भी कि वह कई मामलों में शामिल था, जमानत दी गई थी कि जैसा कि विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता की जमानत अर्जी खारिज करने के आदेश में कहा था | याचिकाकर्ता के फ़ाज़िल अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है। कि याचिकाकर्ता/अभियुक्त के खिलाफ मामलों की संख्या की लंबित होना याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार

करने का आधार नहीं हो सकती है।उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता दिनांक 19.12.2017 से न्यायिक हिरासत में है।

9. दूसरी ओर, राज्य के फ़ाज़िल अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता/अभियुक्त कुख्यात छेनू गैंग का नेता है। फ़ाज़िल अति. लो. अभि. द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता जघन्य अपराधों के संबंध में विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कई आपराधिक मामलों में शामिल है जो मुकदमे लंबित हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह याचिकाकर्ता था जो मुख्य साजिशकर्ता है और वाजिद की हत्या एक सुनियोजित और पूर्व निर्धारित तरीके से की गई थी और इस प्रक्रिया में फियाज को गंभीर चोटें आईं। आगे फ़ाज़िल अति. लो. अभि. द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि सरकारी गवाह जाफर अली @साजिद ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है और छह आरोपी व्यक्तियों की पहचान की है।

10. राज्य के फ़ाज़िल अति. लो. अभि. द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता का इतना आतंक है कि गवाहों ने प्राथमिकी सं. 0634/2017,302/34 भ.द.स. एवं 25/27 शस्त्र अधिनियम, 1959 पुलिस थाना भजनपुरा, दिल्ली में भी वर्तमान मामले की तरह अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है इसलिए याचिकाकर्ता को रिहा करना अनुचित होगा और अन्य शेष मामलों के

साथ अन्याय होगा जो उसके खिलाफ मुकदमे लंबित हैं क्योंकि तब कोई भी आगे नहीं आएगा और न ही कोई उसके खिलाफ बयान देगा ।

11. याचिकाकर्ता के फ़ाज़िल अधिवक्ता ने 4 पहलुओं पर बहुत भरोसा किया हैः

(क) अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

(ख) यह कि सभी साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं और अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है

(ग) इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को प्राथमिकी सं. 0634/2017 302/34 भ.द.स. एवं 25/27 शस्त्र अधिनियम, 1959 पीएस भजनपुरा, दिल्ली दिनांक 06.11.2020 में आदेश दिनांक 06.11.2020 द्वारा जमानत दी है।

(घ) याचिकाकर्ता उस समय जेल में था जब अपराध किया गया था।

12. याचिकाकर्ता के फ़ाज़िल अधिवक्ता ने प्रबलता से तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष के पास यह सिद्ध करने के लिए एक सबूत भी नहीं है कि याचिकाकर्ता वाजिद को मारने की आपराधिक साजिश का एक हिस्सा है। जहां तक साजिश का सवाल है, इस संबंध में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता है। साजिश को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों द्वारा सिद्ध किया जाना है एवं इस स्तर पर याचिकाकर्ता के फ़ाज़िल अधिवक्ता द्वारा उठाए गए बिंदु के संबंध में कोई राय कि याचिकाकर्ता साजिश का हिस्सा नहीं था किसी एक पक्षकारों के मामले को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।

13. जहां तक दूसरे तर्क का सवाल है कि सभी भौतिक गवाहों की जांच की गई है और पक्षपातपूर्ण हो गए है, यह भी मेरी राय में याचिकाकर्ता के बचाव में नहीं आता है। एक गवाह जफर अली @साजिद ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है और जहां तक अन्य गवाहों के पक्षपातपूर्ण होने का सम्बन्ध है, वह भी याचिकाकर्ता के बचाव में नहीं आ सकता क्योंकि यह हमेशा नहीं होता है कि पक्षपातपूर्ण गवाहों के बयान को नष्ट किया जाता है। पक्षपातपूर्ण गवाहों का विश्लेषण मामले में दिखाई देने वाली अन्य परिस्थितियों के प्रकाश में किया जाना है एवं जमानत के स्तर पर पक्षपातपूर्ण गवाहों की गवाही के गहन विश्लेषण में उचित नहीं होगा और वर्तमान मामले में, सरकारी गवाह की गवाही जफर अली @साजिद और अन्य गवाह जो पक्षपातपूर्ण हो गए हैं, उन्हें एक साथ पढ़ा जाएगा और यह विचारण न्यायालय को निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए अनाज से भूसा को अलग करना पड़ेगा। कोई भी इस तथ्य से नहीं चूक सकता है कि याचिकाकर्ता जघन्य प्रकृति के 25 मामलों में शामिल है और अभियोजन पक्ष द्वारा उसे कुख्यात छन्नू गैंग का नेता होने का दावा किया जाता है।याचिकाकर्ता के खिलाफ 14 मामले अभी भी सुनवाई के लिए लंबित हैं और इस स्तर पर याचिकाकर्ता की रिहाई, उन लंबित मामलों की सुनवाई में बाधा डाल सकती है क्योंकि कोई इस मामले के तथ्यों से देख सकता है कि गवाहों ने अभियोजन के रूप में भी मामले में एफआईआर नंबर 0634/2017 पीएस भजनपुरा मामले का समर्थन नहीं किया

है। हालांकि, वर्तमान मामले में, धमकियों के संबंध में जाफर अली को छोड़कर गवाहों द्वारा कोई शिकायत नहीं है, लेकिन परिस्थितियां खुद के लिए बोलती हैं।

14. जहां तक याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता उस समय जेल में था जब अपराध किया गया था, यह ध्यान रखना उचित है कि यह अभियोजन का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता शारीरिक रूप से उस स्थान पर मौजूद था जब अपराध किया जा रहा था।अभियोजन का मामला यह है कि याचिकाकर्ता मुख्य था और यह वह था, जिसने अंतर गिरोह प्रतिद्वंद्विता के कारण साजिश रची थी और इन परिस्थितियों में, मौके पर याचिकाकर्ता की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि साजिश गोपनीयता में रची गई थी और यह षड्यंत्रकारियों का वास्तव में और शारीरिक रूप से मौके पर मौजूद होना आवश्यक नहीं है और प्रत्येक साजिशकर्ता अपराध के कमीशन में उसे सौंपी गई भूमिका निभाता है।

15. जैसा कि फ़ाज़िल अति. लो. अभि. द्वारा यह कहा गया है कि प्राथमिकी सं. 0634/2017, 302/34 भ.द.स. और 25/27 शस्त्र अधिनियम, 1959 पीएस भजनपुरा, दिल्ली में गवाह ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और वर्तमान मामले में पक्षपातपूर्ण हो गए है, मेरी राय में, इन परिस्थितियों में और उपरोक्त चर्चाओं में, याचिकाकर्ता की रिहाई, इस स्तर पर, दूसरे लंबित मामलों के लिए घातक होगी क्योंकि गवाह मामलों में एक के बाद एक पक्षपातपूर्ण हो रहे हैं।

16. जहां तक याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के तर्क का सवाल है कि अन्य सभी सह-अभियुक्त व्यक्तियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और याचिकाकर्ता को भी समानता का हकदार है, उसके विरुद्ध आरोपों एवं उसके पिछले पूर्ववृत्त बहुत जो परेशान करने वाला और खतरनाक हैं और अपराध करने की उसकी प्रवृत्ति को भी देखते हुए, मैं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं| कोई भी इस तथ्य को नहीं खो सकता है कि प्रत्येक आपराधिक मामला अपने स्वयं के तथ्यों और परिस्थितियों पर घूमता है और किसी भी दो मामलों में कोई समानांतर नहीं खींचा जा सकता है। भले ही, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय द्वारा प्राथमिकी सं. 0634/2017, 302/34 भ.द.स. एवं 25/27 शस्त्र अधिनियम, 1959 पीएस भजनपुरा के मामले में जमानत दी गई है, लेकिन इस मामले में, पूरे तथ्यों और परिस्थितियों, याचिकाकर्ता के आचरण और पूर्ववृत्त और अपराध करने की उसकी प्रवृत्ति,को देखते हुए, मैं याचिकाकर्ता को जमानत पर स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हूं। इसलिए, जमानत अर्जी खारिज की जाती है।

17. यहाँ ऊपर वर्णित कुछ भी इस मामले के गुणों पर किसी भी राय की अभिव्यक्ति के समान नहीं होगा।

न्या. रजनीश भटनागर

सितंबर 02,2021
सुमंत

(SUVAS :Translation has been done through AI Tool)

अस्वीकरण *:देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा /समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु आदेश का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी/*